संख्या-3/2022/03/226/84-2-2022/ सी0पी016/2005

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबंधक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 22 मार्च, 2022

विषय:- जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी एवं जिला उपभोक्ता आयोग, कासगंज के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5228/एस.सी.डी.आर.सी.यू.पी./लेखा/भवन निर्माण/ के.स. 01/2013 पार्ट- बी दिनॉक 09 मार्च, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सुओ मोटो रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-02/2021 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 01.12.2021 के अनुपालन में प्रदेश में स्थापित राज्य उपभोक्ता आयोग/जिला उपभोक्ता आयोगों में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कमियों को दूर कराये जाने हेतु चालू कार्य के अंतर्गत जिला उपभोक्ता आयोग अमेठी के भवन निर्माण हेतु धनराशि रू0 42, 08,268/- (रूपये बयालिस लाख आठ हजार दो सौ अड़सठ मात्र) तथा जिला उपभोक्ता आयोग , कासगंज के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 21,04,000/- (रूपये इक्कीस लाख चार हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 63,12,268/- मात्र (रूपये तिरसठ लाख बारह हजार दो सौ अड़सठ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त आहरित की जाने वाली धनराशि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस- 2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य उल्लिखित सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन ही व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि से निर्माण की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(2) निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। निर्माण ससमय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का होगा । कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) भविष्य में प्रश्नगत कार्यों हेतु पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग समय से करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि एक ही कार्ययोजना हेतु दोहरी वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने पाये।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय -60- अन्य भवन- 051- निर्माण - 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0103 उपभोक्ता फोरमों का सुदृढ़ीकरण (के.100) - 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अशोक कुमार मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-3/2022/226(1) /84-2-2022/ सी0पी016/2005 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार, ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज।
(3) संयुक्त सचिव/ निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
(4) संबंधित कार्यदायी संस्था।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त (लेखा)अनुभाग-1/2.
(9) उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1/3.
(10) गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in